(44)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. पी.बी.आर. / निग. / उज्जैन / भू.रा. / 2018 / 0621

श्री लखन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि० 23/01/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6.2.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

नारायणसिंह पुत्र पीराजी

निवासी– दिल्लौद, जिला उज्जैन म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

मुन्शीलाल (मृत) वारिसान 1 लगायत 4

1– आनंदीलाल

2– कमलकिशोर पुत्र

3– मधुकांन्त पुत्रगण पुत्र स्व.मुन्शीलाल

4– अन्नपूर्णा बाई पत्नी स्वं.मुन्शीलाल

निवासीगण– ग्राम चाचाखेडी, तहसील एवं जिला शाजापुर म.प्र.

5– जितेन्द्रसिंह

6– मुकेश पुत्रगण पीराजी

निवासीगण– दिल्लौद, जिला उज्जैन म.प्र.

.......अनावेदकगण

23/01/18
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तराना, जिला उज्जैन के प्रकरण क्र. 36 / अपील / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 0827.04.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :–

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि अनावेदकगण क्रमांक 1 लगायत 4 के पिता स्व.मुन्शीलाल द्वारा ग्राम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निगरानी / उज्जैन / भूरा / 18 / 0621 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	आवेदक अधिवक्ता श्री लखनसिंह धाकड़ उपस्थित। उन्हें सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–4–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार है । इस न्यायालय में यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	